न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 08/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्री कमलेश पुत्र गोपाललाल माहेश्वरी, मैसर्स कशिश ओटोमोबाईल्स्,
मॉगरोल बाईपास रोड बारां जिला–बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री नन्दकिशोर गुर्जर,अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 19.11.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 19.04.2018 को घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मै0 कशिश ओटोमोबाईल्स, मॉगरोल बाईपास बारां पर दल सहित पहुँचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक गैस पाईप कार सहित तथा 4 पेट्रोमैक्स पाये गये। वक्त जॉच मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गेस सिलेण्डर से पाईप के जरिये छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रहीं थी। इसपर उपस्थित कमलेश से पूछताछ की गई जिनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ना हीं कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत किये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	440396 T	HPCL	14.2	15.4	29.250	13.85
2	223651 S	HPCL	14.2	15.6	16.00	.60
योग						14.45

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है। दुकानदार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफलिंग के जरिये छोटे अमानक गैस सिलेण्डरों व पेट्रोमैक्स में गैस निकालकर उन्हे बेचते है, रिफलिंग से गेस रिसाव जैसी दुर्घटना होने का भी अंदेशा रहता है, जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस मय गैस, गैस पाईप तथा 4 पेट्रोमैक्स को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री भॅवर सिंह पुत्र अखेराज सिंह निवासी अभिमन्यु बिहर कॉलोनी, प्रतिनिधि मै. राज एचपी.

गैस ऐजेन्सी, बारां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों मय 14.45 किग्रा. गैस एवं वर्णित उपकरणों को नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक दिनांक 16.01.2019 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी के विरूद्व मिथ्या आधारों पर कार्यवाहीं गयी है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार व्यवसायिक उपयोग रिफलिंग नहीं किया है तथा जॉच निरीक्षणकर्ता द्वारा मनमाने तौर पर प्रार्थी के खाली सिलेण्डर वगैराह जप्त किये गये है। प्रार्थी ने किसी प्रकार कार कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके ओटोमाईल्स् की दुकान है जिसमें खाली सिलेण्डर भरवाने के लिये रख रखे थें जो अपने घर से लिये रखे गये थे। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार गेस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य नहीं किया है। अतः उसके विरूद्व की गयी कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जाकर, उसे दोषमुक्त किया जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बारां में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 19.04.2016 को अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में दो गैस सिलेण्डर, पाईप एवं 4 पेट्रोमेक्स पाये गये जिसमें मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से पाईप के जर्ये छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रहीं थी। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा गैस सिलण्डरों व गैस को राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व झूठा इस्तगासा दर्ज किया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरो का छोटे सिलेण्डर से जुडे होने की बात लिखी है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो को कभी भी व्यवसायिक उपयोग में नहीं लिया गया है। उसके ओटोमोईल्स की दूकान है जिसपर उक्त गैस सिलेण्डर खाली होने से भरवाने के लिये रखे गये थे। रिफलिंग की बात कहना पूर्णतया असत्य है। रसद विभाग से उनकी कोई बात नहीं सुनी तथा उनपर झूठा

केस दर्ज कर दिया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवासियक उपयोग हेतु दुरूपयोग नहीं किया है। इस्तगासा मनगठंत व निराधार तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 कशिश ओटोमोबाईल्स् बारां पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 2 गैस सिलेण्डर, पाईप व 4 पेट्रोमेक्स को जप्त किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को पाईप के जरिये छोटे गैस सिलेण्डर से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 2 गैस सिलेण्डर मय 14.45 किग्रा. गैस, गैस पाईप बर्नर सहित—1 एवं 4 पेट्रोमेक्स को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0सी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा पेट्रोमेक्स को खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां